Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 04 जून, 2020

drishtiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-04-june-2020

रवीश कुमार

अनुभवी राजनयिक और विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार को फिनलैंड (Finland) में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में रवीश कुमार विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। रवीश कुमार फिनलैंड में भारत की राजदूत वाणी राव का स्थान लेंगे, जिन्हें वर्ष 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। रवीश कुमार 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा (Indian Foreign Service-IFS) अधिकारी हैं। रवीश कुमार को जुलाई 2017 में विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था और वे अप्रैल 2020 तक इस पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न घटनाओं जैसे- जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन आदि पर विश्व के समक्ष भारत का पक्ष रखा। इसके अतिरिक्त वे फ्रैंकफर्ट (Frankfurt) में भारतीय महावाणिज्य दूत (Consulate General) और जकार्ता (Jakarta) में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन (Deputy Chief of Mission) के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि भारत और फिनलैंड के मध्य ऐतिहासिक रूप से काफी मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। फिनलैंड भारत को अपने उत्पादन के लिये एक बड़े बाज़ार के रूप में देखता है, जबकि भारत फिनलैंड को यूरोपीय संघ के एक महत्त्वपूर्ण सदस्य और आधुनिक तकनीक वाले एक देश के रूप में देखता है। वर्ष 2019 में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। फिनलैंड में भारतीय संस्कृति मुख्य तौर पर योग काफी लोकप्रिय है।

भारत की रेटिंग में कमी

अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस (Moody's Investors Service) ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को 'Baa2' से कम करके 'Baa3' कर दिया है। साथ ही मूडीज़ ने भारत के प्रति अपने 'नकारात्मक' दृष्टिकोण को भी बरकरार रखा है। मूडीज़ के अनुसार, COVID-19 महामारी और लगातार बढ़ते कर्ज के साथ ही वर्तमान वित्तीय संकट के कारण आगामी भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को सामान्य गति से विकास करने में काफी समय लगेगा। मूडीज़ ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नीति निर्माताओं के लिये मौजूदा वित्तीय जोखिमों को कम करने के साथ अपनी नीतियाँ लागू करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। साधारण शब्दों में क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति की ऋण लेने या उसे चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होती है। मूडीज़ विश्व की तीन बड़ी अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। दो अन्य रेटिंग एजेंसियाँ स्टैण्डर्ड एंड पुअर्स (S & P) तथा फिच हैं। मूडीज़ Aaa से लेकर C तक रेटिंग जारी करती है। AAA को सबसे सर्वश्रेष्ठ रेटिंग माना जाता है, जबकि C सबसे खराब रेटिंग होती है। इन कंपनियों द्वारा रेटिंग देते समय किसी देश पर कर्ज़ की मौजूदा स्थिति और उसे चुकाने की उसकी क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त ये एजेंसियाँ देश में हुए आर्थिक सुधारों, भविष्य के आर्थिक परिदृश्य तथा देश में निवेश के लिये सुरक्षित माहौल को भी ध्यान में रखती हैं।

बिमल जुल्का समिति

हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के तहत संचालित फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण को लेकर गठित बिमल जुल्का समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने अपनी जाँच में पाया कि मंत्रालय के अधीन कई संस्थान एक जैसा ही कार्य कर रहे थे, समिति ने अपनी रिपोर्ट में 4 व्यापक कार्यक्षेत्रों के साथ एक प्रमुख संगठन (अम्ब्रेला ऑर्गनाइज़ेशन-Umbrella Organization) बनाने का सुझाव दिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में व्यावसायिक फिल्मों के निर्माण के लिये स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के वित्तपोषण हेतु फिल्म प्रमोशन फंड (Film Promotion Fund) के निर्माण का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त समिति ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (National Film Development Corporation of India), फिल्म डिवीज़न, चिल्ड्रंस फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया (Children's Film Society), सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान (Satyajit Ray Film & Television Institute), फिल्म महोत्सव निदेशालय (Directorate of Film Festivals) और भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय आदि के विकास के लिये एक विशेष रोडमैप सुझाया है।

विदेशी नागरिकों के भारत में आने संबंधी प्रतिबंधों में छूट

भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत में आने की इजाज़त देने के लिये वीज़ा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट देने देने की घोषणा की है। सरकार के निर्णय के तहत विदेशी नागरिकों की निम्नलिखित श्रेणियों को भारत में आने की इजाज़त मिलेगी- (1) विदेशी व्यवसायी जो बिज़नेस वीज़ा पर भारत आ रहे हैं (2) विदेशी हेल्थकेयर पेशेवर, स्वास्थ्य शोधकर्त्ता, इंजीनियर और तकनीशियन जो प्रयोगशालाओं और कारखानों सहित भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायता करने वाले विभिन्न पेशेवर, हालाँकि यह भारत में किसी मान्यता प्राप्त और पंजीकृत स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, पंजीकृत दवा कंपनी या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त निमंत्रण पत्र की स्थिति में ही होगा (3) विदेशी इंजीनियरिंग, प्रबंधकीय, डिज़ाइन या अन्य विशेषज्ञ जो भारत स्थित विदेशी व्यापार संस्थाओं की ओर से भारत की यात्रा करने वाले हैं (4) विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ और इंजीनियर, जो एक पंजीकृत भारतीय व्यवसाय कंपनी के निमंत्रण पर भारत में विदेशी मूल की मशीनरी और उपकरण सुविधाओं की स्थापना, मरम्मत और रख-रखाव के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं। विदेशी नागरिकों की उपरोक्त श्रेणियों को विदेशों में भारतीय दूतावासों से एक नया व्यापार वीज़ा या रोज़गार वीज़ा प्राप्त करना होगा।